यह आस्था का विषय है

देश के उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः तुष्टीकरण की पोषक सरकारों को "श्रीरामसेतु" के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत देकरआईना दिखाने का कार्य किया है। यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पूर्व भी न्यायपालिका ने सन् 1986 में "श्रीराम जन्मभूमि" का ताला खुलवाने तथा 6 दिसम्बर सन् 1992 को बाबरी ढाँचा ध्वस्तीकरण के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा श्रीराम जन्मभूमि पर पूजा पर रोक को अनावश्यक एवं धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बताकर हिन्दुओं को पूजा का अधिकार देकर उन भावनाओं का सम्मान किया है जो इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार माने जाते हैं। भारत का संविधान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। इसके लिये संविधान ने व्यवस्था भी दी कि कानून के समक्ष जाति, लिंग, उपासना पद्धति में भेदभाव किये बिना इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता प्रदान की जायेगी। लेकिन क्या संविधान की इन मूल भावनाओं को ईमानदारी से इस देश में सत्तासीन दलों ने कभी सम्मान दिया। यदि संविधान की इन मूल भावनाओं के प्रति ईमानदारी बरती गई होती तो इस देश का बहुसंख्यक हिन्दू समाज आज अपने ही देश में अपने आप को उपेक्षित एवं अपमानित महसूस नहीं करता तथा इस देश की विभाजनकारी राजनीति हिन्दू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करती। संविधान लागू होते ही हिन्दू भावनाओं पर कुठाराघात करके संविधान की धज्जियाँ भी धड़ल्ले से उड़ानी शुरू हो गई थी। देश की राजनीति में हिन्दू भावनाओं एवं आस्था के साथ खिलवाड़ ही आज धर्मनिरपेक्षता का पर्याय बन गया है। जो व्यक्ति अथवा राजनीतिक संगठन जितना हिन्दू विरोधी कृत्यों में लिप्त हो वह उतना ही बड़ा धर्मनिरपेक्ष माना जा रहा है। इसी धर्मनिरपेक्षता के कचरे का परिणाम है कि इस राष्ट्र के आधार श्रीराम और श्रीकृष्ण को भी अब काल्पनिक कहने में अधकचरे ज्ञान के बिके हुये बुद्धिजीवियों को कोई संकोच नहीं।

यह षड्यन्त्र निरन्तर हो रहा है। लेकिन इसका दुःखद पक्ष यह कि पूरा राष्ट्र इस षड्यन्त्र से बेखौफ होकर सो रहा है। यह षड्यन्त्र सामान्य षड्यन्त्र नहीं, महाविनाश का षड्यन्त्र है। श्रीराम, श्रीकृष्ण तथा श्रीशंकर के बगैर भारत की संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, आजादी के बाद पथ भ्रष्ट वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के इन तीन आराध्य महापुरुषों को नकारने का प्रयास किया। आज श्रीराम की एक महत्त्वपूर्ण निशानी 'श्रीरामसेतु' के सम्बन्ध में भी वही करने का प्रयास भारत की केन्द्रीय सत्ता ने किया है। श्रीरामसेतु के सम्बन्ध में भारत की केन्द्रीय सत्ता का व्यवहार शत्रु जैसा ही है। अगर यह सच नहीं तो स्वतंत्र भारत में श्रीराम जन्मभूमि के लिये संघर्ष करने की नौबत हिन्दू समाज के सामने नहीं आती। गोहत्या बन्दी के लिये सख्त कानून - बन गया होता। जिस कारण से उपर्युक्तकार्यों में सफलता नहीं प्राप्त हो पाई है, जिन कारणों से अपनी ही भूमि पर हिन्दुओं को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिन कारणों से लगातार हिन्दू मानबिन्दुओं पर प्रहार हो रहा है, उन्हीं कारणों में एक कारण है श्रीरामसेतु को तोड़कर वृहद् हिन्दू समाज की आस्था पर कुठाराघात करना। हमें भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रति आभारी होना चाहिए कि अन्तरिम आदेश में ही सही न्यायपालिका ने एक बार पुनः इस देश की केन्द्रीय सत्ता को नैतिकता एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध करवाया है। श्रीराम के अस्तित्व एवं महत्त्व के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। श्रीराम मर्यादा के आदर्श हैं। भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता के प्रतीक हैं। उन पर अथवा उनकी विरासत पर उठने वाला प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मता पर प्रश्न चिह्न जैसा है। फिर हिन्दू आस्था पर ही यह प्रश्न क्यों उठ रहे?

हजरत बल दरगाह में रखे पैगम्बर मुहम्मद के बाल पर तो प्रश्न नहीं उठते। जीसस क्राइस्ट कुमारी कन्या के पुत्र थे इस पर भी प्रश्न नहीं उठते। मक्का मदीना हो या येरूशलम अथवा वेटिकन सिटी इन पर भी प्रश्न-चिन्ह नहीं

उठते। उन्हें आस्था का प्रतीक मान लिया गया। अगर ये स्थल किसी मजहब अथवा सेक्ट के अनुयायियों की आस्था से जुड़े हैं तो श्रीराम जैसे मर्यादा के आदर्श अवतारी महापुरुष तो भारत के रगरग में बसे हैं। श्रीराम के बगैर भारत की - कल्पना ही व्यर्थ है।फिर श्रीराम और उनसे जुड़े उन पवित्र स्थलों पर ही प्रश्न चिन्ह क्यों? भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक बार पुनः केन्द्रीय सत्ता को सही आईना इस अंतरिम आदेश के माध्यम से दिखाया है। अच्छा होगा, जैसे अन्य उपासना पद्धतियों के प्रति उदार एवं लचीलापन रुख भारत की सरकारें अपनाती आई हैं वैसे ही उदार लेकिन निष्पक्ष रवैया श्रीराम सेतु के मुद्दे पर भी अपनायें। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार श्रीराम सेतु को छोड़कर सेतु समुद्रम् परियोजना के लिए किसी वैकल्पिक मार्ग को अपनायें क्योंकि यह भारत की आस्था से जुड़ा है। यह एक अरब नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा है।